राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 2315/2011/उदयपुर.

मैसर्स एम.पी.इलेक्ट्रिक्लस एण्ड इंजिनियर्स,
539–हिरणमगरी सेक्टर–4, उदयपुर .....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वर्क्स एण्ड लिजिंग टैक्स, उदयपुर .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी.के.पारीक,
अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री आर.के.अजमेरा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 20.09.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 220/वैट/10–11 में पारित किये गये आदेश दिनांक 29.08.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी वर्क्स एण्ड लिजिंग टैक्स, उदयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) के आदेश दिनांक 31.03.2009 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी फर्म द्वारा राज्य के बाहर से आयातित माल को संविदा कार्यो में उपयोग में लिया गया था जिस पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर व ब्याज का आरोपण किया गया, जिसके विरुद्ध अपील की जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण आदेश की पुष्टि की गई है।

3. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा किया गया संविदा कार्य हवाई–अड्डा प्राधिकारी, नई दिल्ली के लिये किया गया था। अतः संविदा कार्य में उपयोग हेतु राज्य के बाहर से लाये गये माल पर करारोपण किया जाना अविधिक है। यह भी कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 58 के तहत विवरण पत्र विलम्ब से प्रस्तुत करने पर शास्ति रुपये 20,304/– आरोपित की है वह भी अविधिक है, क्योंकि अपीलार्थी एक ठेकेदार होने के कारण मासिक करदाता की श्रेणी में नहीं आता है अतः धारा 58 के तहत अधिकतम शास्ति रुपये 5000/– ही आरोपित की जा सकती थी, अतः कर निर्धारण व अपीलीय आदेशों को अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विभाग की ओर से उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय एवं कर निर्धारण आदेशों को उचित बताते हुये अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

5. दोनों पक्षों की बहस सुनी गई व रेकार्ड का अवलोकन किया गया।

लगातार.....2

6. कर निर्धारण आदेश से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी फर्म एक ठेकेदार फर्म के रुप में पंजीकृत है एवं ठेकों का हीं कार्य किया गया है ऐसी स्थिति में अपीलार्थी फर्म मासिक करदाता की श्रेणी में सम्मिलित नहीं होने से विवरण पत्रों की देरी कि लिये अधिनियम की धारा 58(2) के तहत अधिकतम शास्ति रुपये 5,000/— आरोपित की जा सकती थी। अतः रुपये 5,000/— से अधिक शास्ति राशि रुपये 15,304/— को अपास्त किया जाता है।

7. अपीलार्थी व्यवसायी की ओर से यह कथन किया गया है कि राज्य के बाहर से आयातित माल को राज्य के बाहर के अवार्डर के लिये संविदा कार्य में प्रयुक्त किया जाने से करदेय नहीं है एवं यह भी कथन किया कि अन्तर्राज्यीय खरीद पर कर आरोपणीय नहीं है। रेकार्ड के अनुसार यह प्रमाणित है कि संविदा कार्य उदयपुर के हवाईअड्डे पर किया गया है, जो राज्य के भीतर की संविदा है एवं हवाई अड्डा प्राधिकरण, उदयपुर द्वारा ही कार्यादेश भी दिया गया है, जो राज्य के भीतर दिया गया कार्यादेश है एवं संविदा कार्य भी राज्य के भीतर ही किया गया है। प्रकरण में निर्विवाद तथ्य है कि अपीलार्थी ठेकेदार द्वारा जो माल स्वयं ने खरीद कर राज्य में प्राप्त किया है उसका विक्रय राज्य के भीतर अधिनियम की धारा 2(35)(ii) के अनुसार डीम्ड विक्रय के रुप में अवार्डर को किया है। ऐसी स्थिती में राज्य के बाहर से प्राप्त किये गये माल को विक्रय किये जाने से उस पर करदेयता स्वतः आकर्षित होती है। फलतः किया गया करारोपण विधिसम्मत होने से इस बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी द्वारा माननीय राजस्थान कर बोर्ड के निर्णयों का हवाला देते हुये कर निर्धारण आदेश में कर की पुष्टि करने में कोई त्रुटि नहीं की है।

8. फलतः अपीलार्थी की अपील आंशिक रुप से स्वीकार की जाकर आरोपित कर की पुष्टि की जाती है एवं धारा 58 के तहत आरोपित शास्ति रुपये 20,304/— में से रुपये 15,304/— अपास्त किये जाते है।

निर्णय सुनाया गया।

(के.एल.जैन)
सदस्य